प्राक्कथन

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में तीन अध्याय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों का एक विहंगावलोकन समाहित है। प्रतिवेदन के पहले अध्याय में लेखापरीक्षित इकाईयों के बारे में सामान्य जानकारियाँ, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा पर शासन की प्रतिक्रिया एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण है। प्रतिवेदन के दूसरे अध्याय में 'ओंकारेश्वर सागर परियोजना (नहरें) का निर्माण कार्य' की निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित है। तीसरे अध्याय में 'पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण' की अनुपालन लेखापरीक्षा कण्डिका और मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत विविध विभागों की आठ लेखापरीक्षा कण्डिकाएं प्रस्तुत की गईं हैं। संबंधित शासकीय विभागों द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में नीचे दर्शाए अनुसार महत्वपूर्ण कमियाँ पायी गईं थीं :

'ओंकारेश्वर सागर परियोजना (नहरें) का निर्माण कार्य' की निष्पादन लेखापरीक्षाः मार्च 2014 तक 1.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता के विकास हेतु आशयित यह परियोजना, भूमि–अधिग्रहण में विलंब, ठेकेदारों द्वारा निर्माण–कार्यों के क्रियान्वयन की खराब प्रगति तथा अपर्याप्त निगरानी के चलते अपूर्ण रही। नहर कार्यों में धीमी प्रगति के कारण वर्ष 2015–16 व 2016–17 में कम अभिसिंचन क्षमता विकसित की जा सकी। अनुबंध प्रबंधन अपर्याप्त था एवं ठेकेदार पर कार्य की धीमी प्रगति के दायित्व के लिए उस पर ₹ 85.68 करोड़ राशि की शास्ति आरोपित नहीं की गई/वसूल नहीं की गई। नहर कार्यों का गुणवत्ता नियंत्रण अपर्याप्त था एवं सीमेंट कॉंक्रीट लाइनिंग की संपीड़न–शक्ति तथा अन्य हाइड्रॉलिक संरचनाओं के जाँच परिणाम तय मानक से निम्नस्तरीय थे।

'पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण' पर अनुपालन लेखापरीक्षाः 85,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई क्षमता विकसित करने की योजना/रूपांकन के विरूद्ध 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु सिंचाई क्षमता विकसित नहीं की जा सकी। ऐसा नहर के निर्माण की धीमी प्रगति, वितरण–नेटवर्क के निर्माण की निम्न–प्राथमिकता तथा ठेकेदारों द्वारा भूमि–अधिग्रहण के प्रस्तावों को तैयार करने में विलंब के कारण हुआ। इसके बावजूद, ठेकेदारों को ₹ 41.35 करोड़ की शास्ति आरोपित किए बिना ही समय–वृद्धियां स्वीकृत की गईं थीं। लेखापरीक्षा ने कार्यों को निम्नस्तरीय और दोषयुक्त भी पाया, जो न तो ठेकेदारों, न ही विभाग द्वारा सुधारे गए थे।

लेखापरीक्षा ने विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुबंधों के प्रावधानों तथा अन्य संहितात्मक प्रावधानों के उल्लंघन के दृष्टांत पाए, जिनके परिणामस्वरूप ₹ 263.38 करोड़ के अनियमित भुगतान हुए, निर्माण कार्यों पर ₹ 46.43 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई और ठेकेदारों को ₹ 113.97 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। इस प्रतिवेदन में उल्लेखित दृष्टांत उन दृष्टांतों में से हैं जो वर्ष 2016–17 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करते समय संज्ञान में आए तथा ऐसे भी प्रकरण हैं जो विगत वर्षों में संज्ञान में आ चुके थे, परन्तु जिन्हें पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका था; वर्ष 2016–17 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित प्रकरण भी यथावश्यक सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों की अनुरूपता में संचालित की गई है।